न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./152/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. झींपाराम पुत्र रूगनाथराम 2. पूनमाराम पुत्र रूगनाथराम 3. भगाराम पुत्र रूगनाथराम 4. ईश्वरराम पुत्र रूगनाथराम जातियान कुम्हार, निवासीयान चोकड़ियों की ढाणी, ग्राम पंचायत गोल स्टेशन, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. मूलाराम पुत्र रूपाराम 2. भैराराम पुत्र रूपाराम 3. भीखीदेवी पत्नी रूपाराम 4. हेमराज शर्मा पुत्र मूलाराम जातियान ब्राह्मण निवासीयान खारकी ढाणी, भीमरलालई, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर 5. हिमताराम पुत्र जेठाराम 6. झीमोंदेवी पत्नी जेठाराम 7. गोधुराम पुत्र मूलाराम 8. चुतराराम पुत्र भलाराम 9. चैनाराम पुत्र भलाराम 10. अचलाराम पुत्र भलाराम 11. मूलीदेवी पत्नी भलाराम 12. हीराराम पुत्र रूपाराम 13. देदाराम पुत्र रूपाराम जातियान कुम्हार, निवासीयान चोकड़ियों की ढाणी, ग्राम पंचायत गोल स्टेशन, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 226/2019 बअनवान मूलाराम वगैरा बनाम हिमताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उन्हें उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 100 रकबा 65.01 बीधा मौजा खार की ढाणी, पटवार क्षेत्र गोलसोढा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर जाने हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी खसरा संख्या 216/94 रकबा 62.19 बीघा, विप्रार्थी संख्या 6 से 9 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 259/99 क्षेत्रफल 17.13 बीघा में से रास्ता मौजा खार की ढाणी, पटवार क्षेत्र गोल सोढा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी रास्ता कृषि प्रयोजनार्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 की खातेदारी खसरा संख्या 216/94 व खसरा संख्या 259/99 में से रास्ता के उपयोग हेतु इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से उपरोक्त रास्ता स्वीकृत किया गया जिसमें विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की आराजी को दो भागों में विभक्त किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया, इसके बावजूद भी यदि न्यायालय रेस्पोडेंटस को रास्ता देता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता देता है तो कोई आपति नहीं है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया जिससे अपीलांटस के उपभोग एवं उपयोग में बाधा कारित हो रही है। अपीलांटस अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि यदि न्यायालय अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से रास्ता देता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जावे। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 226/2019 बअनवान मूलाराम वगैरा बनाम हिमताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव अपीलांटस की खातेदारी भूमि के टुकड़े नहीं किये जावे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर